न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/10/2021

पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह निवासी सिरसौदा, तहसील व पोस्ट ऑफिस रूपवास जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य/न्याय/स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह निवासी सिरसौदा, तहसील व पोस्ट ऑफिस रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य/न्याय/स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी, सामान्य/न्याय/स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/ 98–101 दिनांक 27.01.2021 से प्रभारी अधिकारी सामान्य/न्याय/स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग से उनके पत्रांक 683 दिनांक 27.01.2021, प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग के पत्रांक 18 दिनांक 09.02.2021, प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग के पत्रांक 1036 दिनांक 29.01.2021 एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभि0 अनुभाग के पत्रांक 1386 दिनांक 09.02.2021 से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं सामान्य/न्याय/स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई है। अपीलान्ट द्वारा सामान्य/न्याय/स्थापना/भू–अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर से वांछित सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रभारी [illegible], सामान्य/न्याय/स्थापना /भू–अभिलेख/राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर, भू–प्रबंध अधिकारी भरतपुर तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार रूपवास को उनके कार्यालय पत्रांक 6284–90 दिनांक 18.12.2020 से धारा 6 (3) में अन्तरित किया जाकर सम्बन्धित से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को भी सूचित कर दिया गया है। अपील के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचनाऐं भू–प्रबंध अधिकारी भरतपुर तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार रूपवास से सूचनाऐं नहीं दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

जानी है बल्कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी न्याय/स्थापना/भू-अभिलेख अनुभाग/राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर से ही सम्बन्धित हैं। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2020 से कुल 05 सूचनाऐं चाही गई हैं। इनमें से बिन्दु संख्या 01 की सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग ने उनके पत्रांक 05 दिनांक 15.01.2021 से भेज दी गई। है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 02 की सूचना प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा पत्रांक 485 दिनांक 11.01.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 03 की बावत प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख अनुभाग ने पत्र कमांक 1027 दिनांक 22.01.2021 से अपीलान्ट को सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। बिन्दु संख्या 05 की सूचना राजस्व अनुभाग से सम्बन्धित नहीं होने से प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा उनके पत्रांक 11575 दिनांक 22.12.2020 से प्रभारी अधिकारी भू-अभि० अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भेजा गया है।

इस प्रकार बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दु संख्या 03 की सूचना की बावत अपीलान्ट द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है। बिन्दु संख्या 04 व 05 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू-अभि० द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलान्ट से अपेक्षा की जाती है कि यदि वह चाहे तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर बिन्दु संख्या 03 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू-अभि० अनुभाग से प्राप्त कर सकता है।

प्रभारी अधिकारी भू-अभि० अनुभाग अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के वाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 04 व 05 की सूचना निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी न्याय/स्थापना/भू-अभिलेख/राजस्व/सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी भेजी जावे ।

नोट:- प्रभारी अधिकारी भू.अ./न्याय/स्थापना/ से प्राप्त पत्रादि निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्ट भेजे जावें।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested